

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या -14/2025

अनवान :

1. मनजीत कौर पुत्री अतरसिह जाति रायसिख निवासी थेहड़ खोड़ा तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़

वादीया

बनाम्

2 तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादी

डिक्री

दिनांक 01/04/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महावीर वर्मा व राजपैरोकार अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक नं0 3 एस. आर डबल्यू के खाता सं0 53 में दर्ज वादीया का नाम सुमित्राबाई पुत्री अतरसिह के स्थान पर सही नाम मनजीत कौर पुत्री अतरसिह किये जाने के आदेश दिए जाते हैं अगर वादीया पर कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/04/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी एवं
(सत्यनारायण R.A.S.)
पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी